भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2151
गुरूवार, 04 अगस्त, 2022/13 श्रावण, 1944 (शक)

भारत में रोज़गार सृजन

2151. श्री इलामारम करीमः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2017 से सार्वजनिक क्षेत्र में वार्षिक रोज़गार सृजन का ब्यौरा क्या है, तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2017 से प्रत्येक राज्य में रोज़गार सृजन के वर्ष-वार आंकड़े क्या है;

(ग) वर्ष 2017 से सभी क्षेत्रों में सरकार द्वारा कुल कितनी नई नौकरियों का सृजन किया गया है;

(घ) देश में बेरोज़गारी का प्रतिशत क्या है, वर्ष 2017 से तत्संबंधी वर्ष-वार आंकड़ा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार की रोज़गार सृजन हेतु कोई मुख्य योजना है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (ङ): वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से रोजगार और बेरोजगारी पर सरकारी आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। सर्वेक्षण की अवधि जुलाई से अगले वर्ष जून तक है। उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) और बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार थीः

वर्ष	डब्ल्यूपीआर **(%)**	यूआर **(%)**
2017-18	46.8	6.0
2018-19	47.3	5.8
2019-20	50.9	4.8
2020-21	52.6	4.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपलब्ध पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध-I में दिया गया है।

पीएलएफएस रिपोर्ट के आधार पर आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित कामगार की क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-II में है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार का सृजन करने हेतु रोजगार देने वालों को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हुई हानि के प्रतिस्थापन हेतु दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2022 थी। दिनांक 13.07.2022 तक 59.54 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) कार्यान्वित की जा रही है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा इसमें और विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत दिनांक 08.07.2022 तक 35.94 करोड़ ऋण संस्वीकृत किए गए।

बजट 2021-22 में 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही पीएलआई योजनाओं में 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन सभी प्रयासों से गुणक-प्रभावों के माध्यम से, सामूहिक रूप से रोजगार का सृजन करने तथा मध्यम से लंबी अवधि में उत्पादन को बढ़ावा मिलने की आशा है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी एपरोच है। यह एपरोच सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और रसद बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह एपरोच, स्वच्छ ऊर्जा और सबके प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर की आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वानिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड -19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरो को उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। दिनांक 11 जुलाई, 2022 तक, इस योजना के तहत 30.26 लाख लाभार्थियों को ₹3,615 करोड़ की राशि के 33.34 लाख ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

इसके साथ-साथ, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन कर रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 04.08.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के भाग (क) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का राज्य/संग राज्य क्षेत्र-वार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार	कामगार जनसंख्या अनुपात (% में)			
	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
आंध्र प्रदेश	57.2	54.8	55.5	58.6
अरुणाचल प्रदेश	42.3	40.9	44.3	48.5
असम	43.7	43.4	43.2	50.5
बिहार	35.5	36.4	39.7	39.9
छत्तीसगढ	62.4	61.2	65.4	63.6
दिल्ली	42.7	44.5	43.3	42.7
गोवा	42.9	45.9	47.3	43.4
गुजरात	47.4	49.7	54.7	55.0
हरियाणा	41.7	41.9	42.9	44.0
हिमाचल प्रदेश	58.9	63.9	70.5	69.5
जम्मू और कश्मीर	51.0	52.9	52.5	55.5
झारखंड	41.7	44.9	53.6	59.6
कर्नाटक	49.1	49.3	53.1	55.3
केरल	41.2	44.9	45.3	46.1
मध्य प्रदेश	54.3	52.3	57.7	60.2
महाराष्ट्र	50.5	50.6	55.7	53.9
मणिपुर	42.5	44.3	45.5	41.0
मेघालय	62.3	61.8	58.6	62.0
मिजोरम	46.4	45.6	50.7	54.5
नागालैंड	32.8	38.1	44.8	49.5
ओड़िशा	44.9	47.6	51.9	53.5
पंजाब	42.9	44.2	47.8	47.2
राजस्थान	48.2	50.0	55.0	55.3
सिक्किम	58.7	61.1	68.8	71.3
तमिलनाडु	51.0	51.4	55.3	56.9
तेलंगाना	49.8	50.6	55.7	57.8
त्रिपुरा	42.0	41.9	49.6	53.8
उत्तराखंड	40.6	41.4	49.5	48.7
उत्तर प्रदेश	41.8	40.8	45.1	48.0
पश्चिम बंगाल	47.8	49.7	49.7	53.0
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	48.7	49.1	49.8	58.2
चंडीगढ़	46.9	47.3	45.5	43.1
दादरा और नगर हवेली	66.3	68.6	72.2	54.0
दमन और दीव समूह	63.2	55.1	64.5	
लक्षद्वीप	34.4	29.5	48.0	40.1
पुडुचेरी	37.8	47.8	47.7	48.1
लद्दाख	-	-	62.7	69.1
अखिल भारत	**46.8**	**47.3**	**50.9**	**52.6**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध-II

राज्य सभा के दिनांक 04.08.2022 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2151 के भाग (क) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

व्यापक उद्योग प्रभाग (सभी उम्र के लिए) द्वारा सामान्य स्थिति में कामगारों की अनुमानित संख्या

(करोड़ में)

एनआईसी 2008 के अनुसार व्यापक उद्योग प्रभाग	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**
कृषि	20.03	19.86	23.27
खनन और उत्खनन	0.19	0.20	0.15
विनिर्माण	5.70	6.12	6.24
विद्युत, जल आदि	0.28	0.28	0.35
निर्माण	5.70	5.86	6.22
व्यापार, होटल और रेस्तरां	5.94	6.39	7.47
परिवहन, भंडारण और संचार	2.78	2.99	3.15
अन्य सेवाएं	6.51	7.05	6.71
योग	**47.14**	**48.76**	**53.55**

स्रोत: आर्थिक सर्वेक्षण